# न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

**रसद अपील सख्या 02/2014**

श्री सुवाराम जाट पुत्र श्री भँवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम सिनोदिया,तहसील रूपनगढ जिला अजमेर । .....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, किशनगढ जिला रसद अधिकारी कार्यालय, जिलाधीश परिसर, अजमेर।
2. जिला रसद अधिकारी, अजमेर। .....रेस्पोडेन्टस

**अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976**

उपस्थितः— 1. श्री एस.के.भार्गव अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

## आदेश

दिनांक 22.09.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक किशनगढ द्वारा अपीलान्ट श्री सुवाराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ से जनवरी 2013 से जनवरी 2014 के वितरण रजिस्टर चाहे जाने पर वाछित रिकार्ड जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवा जिला रसद कार्यालय में जमा करवाने हेतु कहा गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुनः सम्पर्क किये जाने पर रेकार्ड मोटर साईकल की थेली से गिरना बताकर मिथ्या कथन करने से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी को जारी ग्राम सिनोदिया उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना उचित होगा कि रिपोर्ट दिनांक 7.2.2014 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर को प्रस्तुत की गई। इस पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण सं0 29/2014 दर्ज कर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित कर नोटिस जारी किया गया। जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी अब्दुल सादिक से पुनः जाचं करवाई गई। प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.4.2014 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट को पुनःनोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब शामिल मिसल किया गया। तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट में पाई गई गंभीर अनियमितताओं एवं वांछित रेकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने को गंभीर एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 8 , 7, 10, 11 एवं 17 (सी) का उल्लघन मानते हुए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 में प्रदत्त

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रसद अधिकारी अजमेर, प्रथम द्वारा आदेश दिनांक 8.07.2014 से अपीलान्ट को जारी उचित मूल्य दुकान ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया गया तथा जमा प्रतिभूति राशि 1000/– (एक हजार) जब्त सरकार की गई। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रर्वतन निरीक्षक की रिपोर्ट अपीलान्ट से दूरभाष पर सम्पर्क किये जाने के आधार पर जानबूझ रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जाना मानना तथा रेकार्ड गुम होने के कथनों को मिथ्या करार दिया जाना सरासर गलत एवं निराधार है। अपीलान्ट द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को रेकार्ड/दस्तावेज गुम होने के संबध में पुलिस थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने की जानकारी भी दी थी, जिसकी पुष्टि भी रेस्पोडेन्ट द्वारा सम्बन्धित थाने से की गई थी। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी द्वारा इन तथ्यो पर गौर फरमाये, बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के अपीलान्ट को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 8 7, 10, 11 एवं 17 (सी) का उल्लघन करना मानना यह प्रदर्शित करता है कि उनके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का मानस पूर्व से ही था। अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष समस्त पुलिस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज पेश किये गये थे जिसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा सशपथ कलमबद्ध लिखित बयान प्रस्तुत कर बताया गया था कि गॉव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों को गुमराह कर राशनकार्ड ले जाकर अपीलान्ट की झूठी शिकायतें करवाई गई है। राशन डीलर सुवाराम से हमें कोई शिकायत नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बगैर बिना किसी पुख्ता आधार के आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन होने से अपास्त करार दिया जाकर अपीलान्ट का ग्राम सिनोदिया का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक किशनगढ द्वारा अपीलान्ट से जनवरी 2013 से जनवरी 2014 के वितरण रजिस्टर चाहे गये। अपीलान्ट द्वार वाछित रिकार्ड तत्समय उपलब्ध नहीं करवा कर प्रवर्तन निरीक्षक को जिला रसद कार्यालय में जमा करवाने हेतु कहा गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुनः सर्म्पक किये जाने पर रेकार्ड मोटर साईकल की थेली से गिरना बताकर अपीलान्ट द्वारा मिथ्या कथन कहने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 7.2.2014 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर को समस्त तथ्यो की जानकारी देते हुए अप्रार्थी को जारी ग्राम सिनोदिया का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना उचित होगा कि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण सं0 29/2014 दर्ज कर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित कर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

नोटिस जारी किया गया। जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान ग्रामवासियों की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी अब्दुल सादिक से पुनः जाचं करवाई गई। प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.4.2014 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट को पुनः नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब शामिल मिसल किया गया। तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट में पाई गई गंभीर अनियमितताओं एवं वांछित रेकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने को गंभीर एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 8 , 7, 10, 11 एवं 17 (सी) का उल्लघन मानते हुए जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 8.07.2014 से अपीलान्ट सुवाराम को जारी उचित मूल्य दुकान ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया गया तथा जमा प्रतिभूति राशि 1000/— (एक हजार) जब्त सरकार की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्याय संगत विधि अनुरूप एवं अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक को जांच हेतु वांछित रेकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रस्तुत रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। ग्रामवासियों की शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी से पुनः जॉच करवाये जाने पर पाई गई गंभीर अनियमितताओं को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 8 , 7, 10, 11 एवं 17 (सी) का उल्लघन मानते हुए जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2014 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.09.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner